न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 143/2022

1 देवदत्त पुत्र कानाराम
2 रामसिंह पुत्र कानाराम
3 अतरसिंह पुत्र रामनाथ
जाति अहीर निवासीगण सोहली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 भाती पत्नी दीनदयाल
2 उमराव पुत्र रामकरण
3 इन्द्राज पुत्र रामकरण
4 सुबेसिंह पुत्र प्रभु
5 भगवाना पुत्र सोहन (दौराने अपील मृतक)
5/1 चम्पा पत्नी स्व. भगवाना
5/2 दीपचन्द पुत्र स्व. भगवाना
5/3 सुरेश पुत्री स्व. भगवाना
5/4 मेवा पुत्री स्व. भगवाना
5/5 मुकेश पुत्री स्व. भगवाना
5/6 रामकला पुत्री स्व. भगवाना
6 शान्ति देवी पत्नी स्व. भींवाराम (दौराने अपील मृतक)
7 हनुमान पुत्र स्व. भींवाराम
8 महावीर पुत्र स्व. भींवाराम
9 बाबुलाल पुत्र स्व. भींवाराम
10 कमला पुत्री स्व. भींवाराम
11 बिमला पुत्री स्व. भींवाराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

समस्त जाति अहीर निवासीगण सोहली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
12 भोजराज पुत्र श्योनाथ
13 दुलीचन्द पुत्र श्योनाथ
14 मुकेश पुत्र बख्तावर
15 राजेश पुत्र बख्तावर
16 राजपाल पुत्र स्व. रामनाथ
17 राजली पत्नी स्व. रामनाथ
18 मु. चन्दा पुत्री स्व. रामनाथ
19 मु. विधा पुत्री स्व. रामनाथ
20 मु. रती पुत्री स्व. रामनाथ
21 मु. लीला पुत्री स्व. रामनाथ
22 मु. बाला पुत्री स्व. रामनाथ
समस्त जाति अहीर निवासीगण सोहली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.03.2022
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना (राष्ट्रीय लोक अदालत)
बमुकदमा संख्या 523/2010 (96/2006) उनवानी देवदत्त
आदि बनाम भाती देवी वगै. दावा बाबत घोषणात्मक एवं
रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति :

1. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल तृतीय, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 29.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 523/2010 में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलांटस ने एक वाद घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 206, 207, 209, 210, 211, 212 वाके ग्राम सोहली का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से राजीनामे के आधार पर वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने दिनांक 24.01.2005 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 से भूमि खसरा नम्बर 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 206, 207, 209, 210, 211, 212 कुल रकबा 4.73 हैक्टेयर में से 0.76 हैक्टेयर भूमि क्रय की थी। जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा में खसरा नम्बर 188 के सम्पूर्ण रकबा 0.80 हैक्टेयर पर अपना कब्जा बताकर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने राजीनामा पेश किया, उक्त राजीनामा अपीलान्ट को मुगालते में रखते हुए पेश करवाया गया तथा अपीलान्ट को बिना पढवाये ही राजीनामा पर हस्ताक्षर कराये है तथा राजीनामा तस्दीक नहीं किया गया, केवल राजीनामा शामिल मिसल किया गया है। इसलिए उक्त राजीनामा के आधार पर पारित डिक्री निरस्त होने योग्य है। जानकारी से अंदन अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचाराधीन आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत बुहाना जिला झुन्झुनू लोक अदालत बैंच न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी द्वारा पारित किया गया है। इस निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। विचाराधीन आदेश से सिविल रिट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। अतः इसी स्तर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत बुहाना जिला झुन्झुनू लोक अदालत बैंच न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी द्वारा पारित किया गया है। इस निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। विचाराधीन आदेश से सिविल रिट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पोषणीयता के बिन्दु पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर